भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1580
28/07/2026 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना का विकास

1580. श्री थरानिवेंथन एम. एस. :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है, और तमिलनाडु सहित देश में मत्स्य पत्तनों, उतराई केंद्रों, शीत भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु के अरानी निर्वाचन क्षेत्र सहित विगत पांच वर्षों के दौरान मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है,

(ग) तमिलनाडु के दूरस्थ और तटीय क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले और पारंपरिक मछुआरों की आधुनिक अवसंरचना, ऋण तथा तकनीकी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) तमिलनाडु में संधारणीय मत्स्य पालन पद्धतियों को बढ़ावा देने, मछली उत्पादन बढ़ाने और मछली तथा जलकृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का तमिलनाडु में मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए किसी सुधार, विस्तार या नई योजनाओं को शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): देश में मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना सुविधाओं के अंतर्गत 76 फिशिंग हार्बर्स, 231 मत्स्य अवतरण केन्द्र, 670 प्रसंस्करण इकाइयां, 641 पूर्व-प्रसंस्करण इकाइयां, 739 शीत भंडारण, 51 चिल्ड स्टोरेज, 82 ड्राई फिश के भंडारण केंद्र और 47 अन्य मत्स्य भंडारण सुविधाएं शामिल हैं। इस अवसंरचना में तमिलनाडु के 15 फिश हार्बर और 44 मत्स्य अवतरण केन्द्र शामिल हैं; इसके अलावा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 63 प्रसंस्करण इकाइयां, 54 पूर्व-प्रसंस्करण इकाइयां, 67 शीत भंडारण, 15 चिल्ड स्टोरेज, 6 ड्राई फिश के भंडारण केंद्र और 9 अन्य मत्स्य भंडारण सुविधाएं तमिलनाडु में स्थित हैं।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को क्रियान्वित कर रहा है। मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं का विकास इस योजना के तहत परिकल्पित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और इन्हें PMMSY के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार का देश में मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से मात्स्यिकी और जलीय कृषि विकास निधि (FIDF) को भी

क्रियान्वित कर रहा है। FIDF के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार का मात्स्यिकी और जलकृषि विकास सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित पात्र संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण पर 3% तक की ब्याज छूट प्रदान करता है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार की मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को 1,166.37 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है, जिसमें केंद्रीय शेयर 452.39 करोड़ रुपए है। इस स्वीकृत राशि के एवज में, PMMSY के तहत केंद्रीय शेयर के रूप में 208.38 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में FIDF के तहत 1,059.67 करोड़ रुपए की कुल लागत से मात्स्यिकी अवसंरचना परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि विगत पांच वर्षों के दौरान अरणी विधानसभा क्षेत्र में फिशिंग हार्बर अवसंरचना, मत्स्य अवतरण केन्द्रों, शीत भंडारण सुविधाओं या मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित कोई भी परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तमिलनाडु सहित देश भर के मछुआरों और मत्स्य किसानों के लाभ के लिए आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच, संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करने, संधारणीय मत्स्यन प्रथाओं को बढ़ावा देने और बाजार तक पहुंच में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें नीचे उल्लिखित प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं:

(i) आवश्यकता आधारित मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए PMMSY और FIDF की वर्तमान योजनाओं के तहत राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं को सहायता।

(ii) मछुआरों और मत्स्य किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करना।

(iii) मेश-साइज के नियमों सहित मत्स्यन गतिविधियों के नियमन के लिए समुद्री मत्स्यन नियमन अधिनियम (MFRA) के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्श जारी करना।

(iv) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में प्रतिवर्ष मत्स्यन पर 61 दिनों के एकसमान प्रतिबंध को लागू करना।

(v) भारतीय EEZ में विनाशकारी मत्स्यन प्रथाओं जैसे कि पेयर्ड बॉटम ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग और मत्स्यन में कृत्रिम तथा LED लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध।

(vi) समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) की घोषणा और लुप्तप्राय, संकटग्रस्त तथा संरक्षित (ETP) प्रजातियों का संरक्षण।

(vii) ट्रॉल नेट्स में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेज - TEDs की स्थापना, मत्स्यन उपकरण और मछलियों का न्यूनतम कानूनी आकार (MLS) निर्धारित करना, स्थानिक-कालिक (स्थान और समय संबंधी) प्रतिबंध तथा तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मत्स्यन क्षेत्रों का वर्गीकरण ।

(viii) आर्टिफिशियल रीफ्स और मत्स्य एकत्रित करने वाले उपकरणों की स्थापना।

(ix) वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों जैसे समुद्री कृषि, केज कल्चर, समुद्री शैवाल कृषि, ऑर्नामेंटल फिशरीज, केकड़ा पालन, मोती की खेती, बाइवाल्व कृषि आदि के लिए सहायता प्रदान करना।

(x) मत्स्यन पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका और पोषण सहायता प्रदान करना।

(xi) मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना।

(xii) समुद्र में मत्स्यन के दौरान मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और संचार उपकरण प्रदान करना तथा ट्रांसपोंडर लगाना।

(xiii) मत्स्यन नौकाओं और जालों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों के अधिग्रहण के लिए सहायता।

(xiv) मछुआरों और मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रदान करना।

(xv) अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) नियमों और हाई सी दिशानिर्देशों की अधिसूचना, ताकि समुद्री मछुआरों को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए अप्रयुक्त मात्स्यिकी संसाधनों का सतत उपयोग करने की सुविधा मिल सके।

(xvi) समुद्र में सी रेंचिंग जैसे स्टॉक संवर्धन कार्यक्रम।

(xvii) मछुआरा गांवों को जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों के रूप में विकसित करना।

(ङ): चूंकि प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) योजना पहले से ही तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हैं, इसलिए विशेष रूप से केवल तमिलनाडु के लिए एक अलग योजना शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
